# पैसे देने का वादा करने वाले ईमेल/एसएमएस/कॉल से धोखा न खाएं।

**विदेश से आने वाले ऐसे फ़र्ज़ी ई-मेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल से सावधान रहें जो आपको पैसों का लालच दें।**

**भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी चेतावनी**

- आरबीआई में किसी व्यक्ति का खाता नहीं होता है।
- नकली या नकली नामों का उपयोग करके आरबीआई अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), कभी भी व्यक्तियों से लॉटरी जीतने या विदेश से प्राप्त धन के बारे में बताने के लिए संपर्क नहीं करता।
- आरबीआई लॉटरी फ़ंड वगैरह के पुरस्कार की सूचना देने वाला कोई ईमेल नहीं भेजता है।
- लॉटरी जीतने के फ़र्ज़ी प्रस्तावों या विदेश से प्राप्त धनराशि के बारे में सूचित करने के लिए आरबीआई कोई एसएमएस या पत्र या ईमेल नहीं भेजता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की एकमात्र आधिकारिक और वास्तविक वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/ या https://rbi.org.in/) है। साथ ही, जनता को सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहें और नकली लोगो के साथ 'रिज़र्व बैंक', 'आरबीआई' आदि से शुरू होने वाले समान पते वाली नकली वेबसाइटों से गुमराह न हों।
- ऐसी धोखाधड़ी के बारे में तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम अथॉरिटी को सूचित करें।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत, लॉटरी में भाग लेने या पुरस्कार का दावा करने के उद्देश्य से धन भेजने की अनुमति नहीं है।
- आरबीआई व्यक्तियों, कंपनियों, ट्रस्टों के लिए खाते नहीं रखता है या वितरण के लिए विदेशी धन का प्रबंधन नहीं करता है।
- आरबीआई, विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति और धारण की पुष्टि करने के लिए प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ प्रदान नहीं करता है।
- अगर आपके सामने धोखाधड़ी वाले ऐसे मामले या घोटाले आते हैं, तो आपको तुरंत अपने स्थानीय पुलिस अधिकारियों या साइबर क्राइम सेल के पास इसकी शिकायत करनी चाहिए।
- दूसरों को अपने बैंक खाते संचालित करने की अनुमति न दें! नकदी की पेशकश के बदले में अपने खाते का विवरण साझा करने के लिए सहमत न हों!!

**क्या रिज़र्व बैंक जनता को जागरूक करने के लिए कुछ कर रहा है?**

- रिज़र्व बैंक ने अतीत में कई ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) सर्कुलर जारी किए हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत बैंकों (जिन्हें अधिकृत डीलर बैंक कहा जाता है) को इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में सावधान किया गया है। इस श्रृंखला में नवीनतम ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) सर्कुलर संख्या 54, 26 मई, 2010 को जारी किया गया था।

- आरबीआई ने जनता को ऐसे फ़र्ज़ी प्रस्तावों के प्रति सावधान करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो उसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर स्थायी टिकर के रूप में उपलब्ध हैं।
- इसने भारत सरकार के समन्वय से 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसका प्रचार किया है।
- हम यह भी सुझाव देते हैं कि जो व्यक्ति धोखाधड़ी वाले मामलों में स्पष्टीकरण चाहते हैं वे अपने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करें।

**क्या आरबीआई ऐसे अपराधों की जांच कर रहा है?**

- रिज़र्व बैंक के पास दोषियों का पता लगाने और उन पर मामला दर्ज करने की कोई जांच शक्ति नहीं है।
- प्रवर्तन निदेशालय, फेमा 1999 के तहत जांच एजेंसी है।
- धोखाधड़ी के शिकार लोगों को स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए, जो ऐसे धोखेबाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है और यह भी सुनिश्चित करती है कि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी न हो।

**अगर हमें ऐसे फ़र्ज़ी ऑफ़र मिले, तो क्या करना चाहिए?**

- ऐसे संचारों पर ध्यान न दें और ऐसी योजनाओं में भाग लेने के लिए कोई भी भुगतान करने से बचें।
- कृपया शिकायत दर्ज कराने के लिए तुरंत स्थानीय पुलिस/साइबर क्राइम सेल/स्थानीय आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क करें।
- अगर इन धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों के बारे में आपका कोई सवाल है, तो आप रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर पूरी जानकारी पा सकते हैं।

**फेमा के तहत लॉटरी में भाग लेने के लिए विदेश में पैसा भेजना प्रतिबंधित है!!!**

**जनता को धोखा देने के लिए धोखेबाज़ों के काम करने का तरीका**

- फ़र्ज़ी प्रस्ताव लॉटरी जीतने / विदेश से विदेशी मुद्रा में सस्ती धनराशि भेजने / रोजगार प्रस्ताव / छात्रवृत्ति प्रस्ताव / नौकरी प्रस्ताव / उत्प्रवास वीजा / प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि से संबंधित हो सकते हैं।
- वे आम तौर पर पत्र, ई-मेल, मोबाइल फ़ोन, एसएमएस आदि के माध्यम से बनाए जाते हैं। कभी-कभी धोखेबाज़ प्रमाण पत्र, पत्र, सर्कुलर आदि जारी करते हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भेजा गया हो और कथित तौर पर इनपर आरबीआई के शीर्ष अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर हो, ताकि वे असली दिखे।
- जालसाज़ टेलीफ़ोन नंबरों और/या फ़र्ज़ी ई-मेल आईडी के जरिए खुद को रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बताकर भी पीड़ितों को अपनी बात समझाते हैं।
- जालसाज़ प्रोसेसिंग फीस/लेनदेन शुल्क/टैक्स क्लीयरेंस शुल्क/रूपांतरण शुल्क, समाशोधन शुल्क आदि जैसे विभिन्न शब्दों या बहानों का इस्तेमाल करके, लोगों से धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

- धोखाधड़ी के संभावित पीड़ितों को भारत में विभिन्न बैंकों के खातों में राशि जमा करने के लिए राज़ी किया जाता है।

एक बार मांगी गई प्रारंभिक राशि जमा हो जाने के बाद, पैसा तुरंत खाते से निकाल लिया जाता है और लेनदेन कर, पंजीकरण धन आदि के नाम पर और भी ज़्यादा राशि की नई मांग की जाती है।

**क्या ये ऑफ़र काल्पनिक हैं? क्यों?**

- दुर्भाग्य से, संभावित पीड़ितों से फ़ोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल आईडी से लेकर ऑफ़र तक, इन ऑफ़र के बारे में सब कुछ काल्पनिक है।

**हालांकि, कॉल करने वाले या मेल करने वाले ने कहा कि पैसा आरबीआई में किसी व्यक्ति/कंपनी/ट्रस्ट के नाम पर एक खाते में रखा गया है और आरबीआई फ़ंड तभी वितरित करेगा, जब मांगी गई राशि बैंक में जमा हो जाएगी।**

- रिज़र्व बैंक संवितरण के लिए व्यक्तियों/कंपनियों/ट्रस्ट आदि के नाम पर कोई खाता नहीं रखता है।
- आरबीआई, व्यक्तियों के लिए रिज़र्व बैंक में पैसा जमा करने के लिए खाते भी नहीं खोलता है।
- इसके अलावा, आरबीआई इन खातों में पैसा रखने के सबूत के तौर पर पुष्टि या रसीद का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है।
- रिज़र्व बैंक अपने किसी भी अधिकारी को ऐसे संवितरण के लिए अधिकृत नहीं करता है।

**अगर मैं इन योजनाओं/प्रस्तावों में भाग लेता/लेती हूँ, तो क्या मुझे अपना पैसा वापस मिलेगा?**

- खाते में जमा किया गया पैसा जमा होने के तुरंत बाद ही निकाल लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से पैसा डूब जाता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि ऐसा करके आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में उल्लिखित नियमों के अनुसार, पुरस्कार राशि या पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से बनी सर्कुलेशन योजनाओं या प्रेषण जैसे विभिन्न नामों के तहत चलने वाली लॉटरी योजनाओं या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए किसी भी रूप में धन भेजने की अनुमति नहीं है।
- इसके अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के उल्लंघन के लिए भारत के बाहर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भुगतान एकत्र करने और प्रभावित/प्रेषित करने के लिए भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

**आरबीआई इन धोखाधड़ी को लेकर क्यों चिंतित है?**

- कई लोग सस्ते फ़ंड के ऐसे फ़र्ज़ी ऑफ़र का शिकार हो गए हैं और बड़ी रकम गंवा चुके हैं।
- इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए भारत से बाहर धन भेजना फेमा, 1999 के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- आरबीआई के फ़र्ज़ी लेटर हेड पर और इसके शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर हस्ताक्षरित पत्र/प्रमाणपत्र आदि प्रचलन में हैं, भले ही आरबीआई धन के वितरण के लिए व्यक्तियों, कंपनियों/ट्रस्टों आदि के नाम पर कोई खाता नहीं रखता है।
- इसके अलावा, जालसाज़ रिज़र्व बैंक के अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और टेलीफ़ोन नंबर और फ़र्ज़ी ईमेल आईडी देकर पीड़ितों से फ़ोन पर संपर्क करते हैं।
- जनता को लुभाने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की नकल करने का प्रयास किया गया है।